

दालत.....

मुकाम.....

रतनाराम

बनाम.....

आठुराम कोठ

केसम मुकदमा.....

रा. 314/11, 128

नं.....

110

सन 2020

RLR by-

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/6/2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>रतनाराम मारण</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>11, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>22/6/2020</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>विश्वेश्वर</u> सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु</p>	
22/6/2020	<p>प्रार्थी वकील उपर विप्रार्थी गण (कम)</p> <p>प्रार्थी वकील की एक प्रतिकाप उद्यत सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी गण की सभी सेटलमेंट आई हुई हैं। परकारों के अदो पट जो पुष्पी माहे की हुई हैं वट खातिपांकी पत्र से लिखर गइ हैं किनले प्रार्थी के खेत की सीमाओं का लखीवान खेतीपा खोर्टे वपति के दोमे प्रार्थी के खेत के विप्रार्थी गण खेती का देवे हैं किनले दोमे प्रार्थी के कीव नमागी बना रहतर्ही इमलिए प्रार्थी को कपते खेत की पक्की नेजावरी कवामा आवश्यक है इमलिए प्रार्थी का</p> <p style="text-align: right;"><u>विश्वेश्वर</u> सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु</p>	



नेवभरवी आवेदन स्वीकार कर नेवभरवी
दिया जावे।

अन: प्राणी का नेवभरवी आवेदन स्वीकार
किया मात्र आवेदन दिया जावे कि तहसीलदार
बापु को कमीशन एवं समुचित अंक निरीक्षण को
सहायक कमीशन नियुक्त किया जाकर आवेदन
दिया जाता है कि आप विषय में सहायक कमीशन
से प्राणी के खानेपानी खेती की पत्र नेवभरवी
माझे पत्र कमीशन शुरू (500) - भूमि करान की
पालना रिपोर्ट पत्र होने पर शामिल पत्रावली की
पत्रावली फॉर्म शुरू होने पर निम्न ले कम ही
दालिखत दफतर हो।



सहायक कमिश्नर
(SDO) बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/आवेदन/2020/423
राजस्व आवेदन संख्या -110/2020

दिनांक:- 22/6/2020

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण


श्री रतनाराम पुत्र वेहनाराम
वगैरा 4, जाति-जाट,
निवासी-प्रेमनगर, पनावड़ा
तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर

श्री आदूराम पुत्र दलाराम वगैरा 10
निवासी-प्रेमनगर, पनावड़ा
तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा प्रेमनगर पटवार हल्का पनावड़ा, तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 625, 626, 627 रकबा क्रमशः 00.17, 00.14, 144.00 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/आवेदन/2020/424-28

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, पनावड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री रतनाराम पुत्र वेहनाराम वगैरा 4।
4. विप्रार्थीगण श्री आदूराम पुत्र दलाराम वगैरा 10।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु,
दिनांक:- 22/6/2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु